


FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

कोराबाई बनाम जानीबाई

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 130/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>9.4.25</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सल्लेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कोराबाई</u></p> <p>पिता श्री <u>मधुरामल बाबा</u></p> <p>निवासी- <u>लुम्बडिमा (OR)</u> साहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम <u>रोजना</u> (फ.र. लुम्बडिमा) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>342</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> कुल रकबा <u>2.0400</u> हे० की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>रोजना (फ.र. लुम्बडिमा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>342</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> रकबा <u>2.0400</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षर <u>एक हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्त पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (बिनु देवल) सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी (चित्तौड़गढ़ (राज.)) </p>